आवश्यक/तत्काल

फाईल संख्या: 12-2099/412/2019-2-

संख्या:68/2020/2326/12-2099/412/2019-2-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत एवं शामली।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 दिसम्बर, 2020

विषय: अन्तर्राष्ट्रीय एवं अन्तर्राज्जीय सीमाओं के निकटवर्ती जनपदों में उर्वरकों की उपलब्धता एवं वितरण की सघन निगरानी किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में वर्तमान में रबी सीजन के अन्तर्गत फसलों की बुआई का कार्य कृषकों द्वारा त्वरित गति से किया जा रहा है तथा माह नवम्बर में बोई गई फसलों में टॉप ड्रेसिंग को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध उर्वरकों का कृषकों में वितरण पर सतर्क दृष्टि बनाये रखने की आवश्यकता है, ताकि प्रदेश के बाहर उर्वरक न जाने पाये। उक्त के साथ उर्वरकों की शीर्ष मांग के समय असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों का अवैध परिसंचलन का भी प्रयास किया जाता है, जो कि आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 एवं उर्वरक परिसंचलन (नियंत्रण) आदेश, 1973 का उल्लंघन है।

2. उल्लेखनीय है कि पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या: 2438/12-2-2019-एफ.42/2001 दिनांक 14 अगस्त, 2019 में दी गई व्यवस्था के अनुसार भारत-नेपाल सीमा से 05 कि0मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में उर्वरकों की बिक्री हेतु उर्वरक निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत न किए जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ताकि सीमावर्ती जनपदों के कृषकों को ससमय/उनकी मांग के समय उर्वरक सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सके।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार पुलिस एवं स्टेट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की सहायता से अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्जीय सीमाओं पर सतर्क दृष्टि रखी जाये एवं उर्वरकों (विशेष कर यूरिया उर्वरक) के अवैध परिसंचलन में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलिप्त पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित आदेश/अधिनियमों के तहत सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:68/2020/2326(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.सचिव, उर्वरक, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारतीय सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2.महानिदेशक, एस0आई0बी0, 11वॉ तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3.आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4.संयुक्त निदेशक, इन्टेलीजेंस ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, माल एवेन्यू, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5.वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चन्दौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झॉसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बागपत एवं शामली।
6.आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7.प्रबंध निदेशक, पी0सी0एफ0/यू0पी0एग्रो/गन्ना संघ/औद्यानिक संघ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8.कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9.संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10.संबंधित मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/जनपदीय उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अनिल ढींगरा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।